A6
T

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेश जोशी
आर.ए.एस.

मिसल संख्याः	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
194 / अपील / 2017	04.07.2017	26.07.2019

अब्दुल वहीद आ. घासी जाति मुसलमान निवासी बडोदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (राज.) – अपीलांट

– बनाम –

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी (राज0) – रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 22.03.2017
तहसीलदार, हिण्डोली
अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम
अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :–
अपीलांट की ओर से – श्री शिफाउल हक, अभिभाषक।
रेस्पोडेन्ट की ओर से – पेरोकार सरकार

–: निर्णय :–

यह अपील तहसीलदार, हिण्डोली द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.03.2017 से अप्रसन्न होकर अपीलान्ट ने अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश के तहत अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 2522 रकबा 02 बिस्वा, किस्म सिवायचक रास्ता वाके ग्राम बडोदिया तहसील हिण्डोली का अतिचारी मानते हुये धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत बेदखली, पैनाल्टी 13/– रूपये एवं 30 दिन सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट व पेरोकार सरकार सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय वस्तु स्थिति व विधान के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को जिस भूमि पर अतिक्रमी माना है वह गलत है, उक्त भूमि राजस्व विभाग में सिवायचक भूमि है। जिस पर अपीलान्ट का काफी पुराना कब्जा था क्योंकि उक्त भूमि पूर्व में खाली पडी हुई थी। जिसे अपीलान्ट के पूर्वजो के द्वारा फाड–तोड कर काबिल काश्त बनाया है। विवादित भूमि पर अपीलान्ट के पूर्वजो के जमाने से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। राजस्व विभाग में भी अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)

A6/2

को आवंटन करने हेतु आवेदन किया गया था। लेकिन राजस्व विभाग द्वारा आवंटन नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया हैं। अपीलान्ट का कोई राजस्व बकाया नहीं है। अपीलान्ट ने विवादग्रस्त आराजी से कब्जा छोडकर राजस्व कर्मचारियों को कब्जा संभला दिया है। वर्तमान में अपीलान्ट का कोई कब्जा काश्त नहीं हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावे।

पेरोकार–सरकार ने बहस के दौरान अपने मौखिक तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्ट ने राजकीय सिवायचक रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया गया है तथा अपीलान्ट को सुनवाई का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवसर दिया गया है। अपीलान्ट को गत वर्ष भी अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया गया था जिसका विवरण पटवारी बयान व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अंकन है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलान्ट ने विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया है। पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह सिवायचक रास्ता की भूमि है जिस पर किसी भी व्यक्ति को अतिक्रमण व कब्जा करने का अधिकार नहीं है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं अपीलान्ट को विचारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश सजा इस शर्त के साथ माफ की जाती है कि अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है तथा जुर्माना राशि जमा करा दी गई है। इस आशय की पालना रिपोर्ट अपीलान्ट मय शपथ पत्र अधीनस्थ न्यायालय को प्रस्तुत करेगा तथा अधीनस्थ न्यायालय उक्त पालना रिपोर्ट की वस्तु स्थिति का मौका देखकर पालना से पूर्णरूप से सन्तुष्ट होने पर कि अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है और जुर्माना जमा करा दिया गया है तो सिविल कारावास की सजा निरस्त समझी जावें। यदि अपीलान्ट उक्त पालना प्रस्तुत करने व वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ने में असफल रहता है तो विचारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सिविल सजा यथावत रहेगी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित शेष निर्णय यथावत रहेगा।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 26.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश जोशी R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज0)